राजस्थान सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं विज्ञान उद्यान, शास्त्रीनगर, जयपुर
फोन 0141–2304654, ईमेल–scienceparkjaipur@gmail.com

क्रमांक : F1 (1) DST/RSC/2020-21 52–64 दिनांक 13·1·2021

क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं विज्ञान उद्यान को खोले जाने के संबंध में दिशा–निर्देश (SOP) :–

विभाग के अधीन प्रदेश में संचालित विज्ञान उद्यान एवं विज्ञान केन्द्र जो कोविड –19 महामारी के कारण बन्द चल रहे है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), भारत सरकार द्वारा भी सभी विज्ञान केन्द्रों/विज्ञान उद्यानों को खोल दिया गया है। प्रदेश में पुरातत्व विभाग द्वारा भी संग्रहालयों को आम दर्शकों के लिए खोला जा चुका है।

राज्य के विज्ञान उद्यान / विज्ञान केन्द्रों को पुनः आम दर्शकों के लिए खोले जाने हेतु जारी किए जाने वाले दिशा निर्देश (SOP) निम्नानुसार होगें।

1. **विज्ञान केन्द्रों को खोले जाने का समय पूर्ववत ही रहेगा।**
2. **दर्शकों के लिए बन्द रखे जाने वाले स्थानः–**
   1. 3–डी थियेटर
   2. तारामण्डल
   3. बैटरी चलित वाहन
3. **दर्शकों के लिए खुले रखे जाने वाले स्थान (किसी भी मॉडल को दर्शकों द्वारा हाथ न लगाने की शर्त पर)**
   1 एस्ट्रोनोमी गैलरी
   2 बायोमेडिकल गैलरी
   3 फन साईन्स गैलरी
   4 आई.टी. गैलरी
   5 ट्रैफिक पार्क के अन्तर्गत संचालित गतिविधियाँ
4. टिकिट दर पूर्ववत ही रहेगी।
5. प्रत्येक गैलरी के बाहर दर्शकों के हाथों को सैनिटाईज किया जायेगा।
6. विज्ञान केन्द्र को खोलने से पूर्व मॉडल्स की उचित साफ–सफाई (Fumigation and Sanitization) सुनिश्चित की जावेगी। सुबह एवं सांयकाल के अलावा दोपहर में भी आवश्यक साफ–सफाई सुनिश्चित की जावेगी, जिससे किसी भी तरह का संकमण ना हो।
7. विज्ञान केन्द्र में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कीनिंग की जायेगी।

8. विज्ञान केन्द्र में प्रवेश करने से पूर्व दर्शकगण के हाथों को सैनिटाईज करवाया जायेगा।
9. दर्शकगण को बिना मास्क के प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।
10. विज्ञान केन्द्र में प्रत्येक गैलरी में एक समय में केवल 4–5 दर्शकगण के समूह को प्रवेश कराया जायेगा और उसके कुछ समय के बाद (लगभग पांच मिनट के अन्तराल पर) दूसरे समूह को प्रवेश दिया जायेगा, क्योंकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक हे कि वे एक स्थान पर भीड एकत्रित ना हों। सुरक्षा गार्ड एवं ड्यूटी स्टॉफ यह सुनिश्चित करेगें कि दर्शकों के बीच social distancing बनी रहे तथा दर्शकगण किसी भी मॉडल एवं विज्ञान केन्द्र की दीवारों को छुए नही।
11. ड्यूटी पर आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच सामाजिक दूरी social distancing की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
12. कोरोना हॉट–स्पॉट एवं कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फिलहाल ड्यूटी पर नहीं बुलाया जायेगा।
13. कर्मचारियों/दर्शकगण के लिए परिसर में पान/गुटका/धुम्रपान निषेध रहेगा। पान/गुटका/धुम्रपान की जांच सुरक्षा कार्मिकों द्वारा की जायेगी।
14. संबंधित प्रभारी अधिकारी स्टाफ एवं गार्ड की उपस्थिति सुनिश्चित करेगें।
15. हाउस कीपिंग स्टाफ को पारियों में बुलाया जाएगा और उन्हें भी मास्क, दस्ताने और सैनेटाईजर का उपयोग करना आवश्यक होगा।
16. बुकिंग विंडो पर social distancing की पालना हेतु सामने गोले बनाये जायेगें और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कर्मचारी सभी आवश्यक सावधानी बरतें।
17. ड्यूटी स्टॉफ को भी समस्त गाईडलाईन्स की पालना हेतु पाबन्द किया जायेगा।
18. ऑडिटोरियम, कांफ्रेंस हॉल, प्रदर्शनी हॉल, ओपन एयर थियेटर, तारामण्डल, 3डी–थियेटर आदि की बुकिंग हेतु पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।
19. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद(NCSM) , भारत सरकार द्वारा विज्ञान केन्द्रों हेतु जारी दिशा–निर्देशों (sop)की पालना की जायेगी।
20. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों (sop)की पालना की जायेगी।

16 जनवरी 2021 से सभी विज्ञान केन्द्र/उद्यान खोले जाएगें। उपरोक्त गाईडलाईन्स सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

12/01/2021

संग्रहालयाध्यक्ष

क्रमांक : F1 (1) DST/RSC/2020-21/ 52 – 64 दिनांक 13.1.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव शासन सचिव, विप्रौ., जयपुर।
2. आयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
3. मुख्यलेखाधिकारी विप्रौ., जयपुर।
4. संस्थापन प्रभारी, मुख्यालय विप्रौ, जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी विज्ञान केन्द्र / उद्यान जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर / बीकानेर / झालावाड / नवलगढ।
6. प्रभारी अधिकारी, MIS को भेजकर निवेदन है कि शासन सचिव महोदया के निर्देशानुसार इसे विभागीय वेबसाईट एवं सोशल मिडिया पर भी प्रसारित करवाने का श्रम करे।
7. रक्षित पत्रावली।

12/01/2021

संग्रहालयाध्यक्ष

D:\RSC 2020-21\SOP FOR REOPENING MUSEUMS\sop hindi.docx